टी0ए0 मिस केस सं0 197/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
03-12-2020	(see order below)	

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **चन्द्रेश कुमार सावैयाँ, पिता–स्व० लादुरा सावैयाँ (मास्टर), ग्राम–गितिलपी**, थाना–**मुफस्सिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा–**गितिलपी**, थाना नं0– **580**, खाता न0– **39**, प्लॉट न0– **189**, रकवा– **0.17 एकड़** भूमि क्रेता **मंजु कुमारी बानरा, पिता– ब्रजमोहन बानरा**, ग्राम–**घाघरी**, थाना– **मुफस्सिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मुकदमा स०283/2015–16 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1163**, दिनांक **24.11.2020** के द्वारा प्राप्त है। शिक्षा एंव अन्य घरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **मंजु कुमारी बानरा, पिता– ब्रजमोहन बानरा**, ग्राम–**घाघरी**, थाना– **मुफस्सिल** चाईबासा के पास **8,32,500.00/–(आठ लाख बत्तीस हजार पॉच सौ)रुपया मात्र** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि **4.50** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **चन्द्रेश कुमार सावैयाँ, पिता– स्व० लादुरा सावैयाँ (मास्टर), ग्राम– गितिलपी**, थाना **मुफस्सिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **गितिलपी**, थाना नं0– **580**, खाता न0– **39**, प्लॉट न0– **189**, रकवा– **0.17 एकड** भूमि को क्रेता **मंजु कुमारी बानरा, पिता– ब्रजमोहन बानरा**, ग्राम–**घाघरी**, थाना– **मुफस्सिल** चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

3/12

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

3/12/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।